फा. सं. 19011/59/2003-एमपीआर (भाग)-खण्ड-III
भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

कमरा सं. 407-बी विंग
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 11 नवम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञापन

विषयः नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों के लिए अनुमेय रियायत के बकाया दावों के भुगतान के संबंध में

कृपया उपर्युक्त विषय और एफए प्रभाग द्वारा फाइल सं. 5-56/सीडब्लू/2008-09 में मांगे गए यह स्पष्टीकरण, कि नियंत्रणमुक्त पीएंडके उर्वरकों की बिक्री के लिए अनुमेय बकाया भुगतान जिसके लिए जिले में उर्वरकों की प्राप्ति पर पहले से ही "लेखागत" भुगतान कर दिया गया है, को यदा कदा बेची गई मात्रा के आधार पर जारी किया जाना चाहिए अथवा सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री होने पर जारी किया जाना चाहिए का संदर्भ लें।

2. इस मामले की एमपीआर प्रभाग में आंतरिक वित्त प्रभाग (आईएफडी) के परामर्श से जांच की गई है। आईएफडी ने यह राय दी है कि किसी विशेष माह में पहुंचे/प्राप्त हुए उर्वरक के संदर्भ में कंपनी के सभी दावों पर दिनांक 12.3.2009 के परिपत्र के प्रावधानों के आधार पर प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए। दिनांक 12.3.2009 के परिपत्र के पैरा 1 (घ) के अनुसार यह प्रावधान किया गया है कि बकाया दावे को तब अनुमति दी जानी चाहिए जब जिले में सम्पूर्ण उर्वरक की बिक्री कृषि प्रयोग के लिए अनुमोदित डीलरों/राज्य विपणन/सहकारी संघों/एजेंसियों को कर दी जाए अथवा एफसीओ के अंतर्गत पंजीकरण के अनुसार एनपीके मिश्रित उर्वरकों के उत्पादकों को कर दी जाए परंतु यह बिक्री औद्योगिक या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं अपितु कृषि उपयोग के लिए होनी चाहिए।

3. तदनुसार, यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य में प्राप्त उर्वरक की मात्रा के लिए किए गए "लेखागत" भुगतान हेतु रियायत का बकाया भुगतान सम्पूर्ण मात्रा की बिक्री होने पर ही किया जाना चाहिए।

वीरेन्द्र गुप्ता

(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष व फैक्सः 23388536

उद्योग भवन, नई दिल्ली

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

(i) सीए/वेतन एवं लेखा अधिकारी

(ii) निदेशक (वित्त)/एएफए/अनुभाग अधिकारी (आईएफडी)

(iii) निदेशक (संचलन)

(iv) अवर सचिव (रियायत विंग)/सहायक निदेशक (सीडब्लू)/अनुभाग अधिकारी (जेवी)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी:

पीएंडके उर्वरकों के सभी उत्पादक/आयातक, एएसएफए के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (पीएंडपी) के निजी सचिव और उपसचिव (पीपीएफ) के निजी सचिव

वीरेन्द्र गुप्ता

(वीरेन्द्र गुप्ता)
अवर सचिव, भारत सरकार